लिट्टा सिंह और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 805)

26 अप्रैल, 2013

[पी. सदाशिवम और एम. वाई. इकबाल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा. 304 (भाग II)/34- पीड़ित को चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त- अगले दिन पीड़ित की मृत्यु- अंतगर्त धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट की गई- अभिनिर्धारितः हस्तगत मामला अन्तगर्त धारा 304 (भाग II) के अंतर्गत आता है-हालाँकि अपीलार्थी की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था लेकिन इसका सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे जानते थे कि इस तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना थी- इसलिए, अपीलार्थी सदोष मानववध के दोषी हैं, हत्या के लिए नहीं तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूपांतरित किया जाता है

और धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को 304(भाग II) में परिवर्तित किया जाता है। अपीलार्थियों को दस साल के कारावास की सजा दी जाती है।

शब्द और छंदः

अभिव्यक्ति, 'मारो मारो'-का अर्थ।

अपीलार्थी को उनके पिता के साथ पीडब्लू1 के भाई की मौत के लिए अभियोजित किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि घटना से दो दिन पहले मृतक और अपीलार्थी के पिता के बीच झगड़ा हुआ था। घटना की तारीख को शाम करीब 7 बजे अपीलार्थियों और उनके पिता ने मृतक पर लाठियों और गंडासी से हमला किया। अगले दिन अस्पताल में उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को अंतगर्त धारा 302/34 भा०द०स० में दोषसिद्घ किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया

अभिनिर्धारितः 1.1 अभियोजन पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मृत्यु कारित करने की पूर्व-योजना बनाई थी और उस इरादे से वे मृतक का खेत से आने का इंतजार कर रहे थे और फिर

मृतक को मारने के इरादे से उन्होंने उस पर हमला किया। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 1, 2 और 3 के साक्ष्य पर ध्यान दिया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने "मारो मारो" का शोर सुना था, जिसका मतलब केवल पीटना या हमला करना हो सकता है न कि 'मारना'। उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से इस शब्द का उल्लेख 'मारने' के रूप में किया है। हालांकि, मृतक की चोट की प्रकृति को देखते हुए और हथियार जैसे 'लाठी' और 'गण्डासी' (दरांती) उनके द्वारा उपयोग किये गये, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मृतक पर इस ज्ञान के साथ हमला किया कि चोट से मृत्यु हो सकती है। [पैरा 13 और 16-17] [1129-सी; 1131 - ए-बी, डी-ई]

1.2 यह विधि का सुस्थापित सिद्नान्त है कि इस ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करने का आशय कि मृत्यु कारित होना सम्भावित है, यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मृत्यु वास्तव में हत्या है मृत्यु कारित करने के आशय से की गई है या यह ज्ञान कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है। गवाहों की गवाही से यह पता नहीं चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का इरादा मृत्यु कारित करने का था और उस इरादे के साथ उन्होंने मृतक के शरीर पर चोटें मारना शुरू कर दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वे मृतक को पीट रहे थे गवाह मौके पर पहुंचे और चिल्लाये जिस पर आरोपी व्यक्ति मृतक को मारने के इरादे

से और अधिक चोट पहुंचाने के बजाय तुरंत भाग गए। [पैरा 18] [1131-एफ-जी]

गुरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, **(1987) 2 एस. सी. सी. 14 पर निर्भर किया।**

1.3 हस्तगत मामले में, सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना अचानक हुयी और अपीलार्थियों की और से कोई पूर्व विमर्श नहीं किया गया। इसकी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने मृतक को मारने के आशय से उस पर हमला करने के लिए विशेष तैयारी की। यह अविवादित है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर इस तरह से हमला किया कि मृतक को गंभीर चोटें आईं जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह न्यायालय आश्वस्त है कि अपीलार्थियों द्वारा चोटें मृतक को मारने के आशय से नहीं की गयी। [पैरा 20] [1133-सी-ई]

1.4 न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत मामला धारा 304 (भाग II) में आता है, यद्यपि अपीलार्थी का मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे जानते थे कि इस तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु कारित होने की संभावना थी। इसलिए अपीलार्थी सदोष मानव वध के दोषी हैं जो हत्या करने के

समान नहीं है, तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूपांतरित किया गया और धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को 304(भाग II) में परिवर्तित किया गया। अपीलार्थियों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। [पैरा 21-22] [1133-E-G]

ईश्वर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य **(1976) 4 एस. सी. सी. 355 और** *यू. पी. राज्य बनाम मदन मोहन और अन्य,* **ए. आई. और . 1989 एस. सी. 1519-उद्धृत।**

` **न्यायिक दृष्टांत संदर्भः**

(1976) 4 एस. सी. सी.	**355 उद्धृत किया गया**	**पैरा 10**
1989 ए.औरइ. और.1519	**उद्धृत किया गया**	**पैरा 10**
1987 (2) एससीसी 14	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 19**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 805 /2009

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की 2002 आपराधिक अपील डी.बी संख्या 239 पारित निर्णय और आदेश 239/2002 से।

अपीलार्थियों के लिए सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, अनुराग गोहिल, प्रतिभा जैन।

डॉ. मनीष सिंघवी, ए. ए. जी., अमित लुभाया, मिलिंद कुमार उत्तरदाता की और से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा

एम. वाई. इकबाल, **जे**. 1. वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. के 2002 की आपराधिक अपील सं. 239 के 8 मई, 2008 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है जिसके द्वारा अपीलार्थियों की अपील को खारिज करते हुए अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के 2001 के सेशन केस संख्या 16 में पारित निणर्य व आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2002 को पुष्ट किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना प्रत्येक को तथा जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर प्रत्येक को एक महीने के लिए कठोर कारावास से अतिरिक्त रूप से भुगतने की सजा सुनाई।

2. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी सं. 2 कल्ला सिंह को इस अदालत ने 3 फरवरी, 2010 को जमानत दे दी थी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता बलतेज सिंह (पीडब्लू-1) ने 7 फरवरी, 2001 (एक्स. पी./1) को सादुलशहर पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर एफ. आई. और.

(एक्स. पी./17) तैयार की गई और धारा 307, 341, 323/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त रिपोर्ट एक्स. P/1 में यह आरोप लगाया गया है कि समय बिताने के लिए ग्रामीण और शिकायतकर्ता और उनके परिवार के सदस्य मुकुंद सिंह के घर के सामने सर्दी और ठंड में आग के पास बैठते थे। बोगा सिंह, सह-अभियुक्त को शिकायतकर्ता के भाई हंसराज सिंह की बैठक पसंद नहीं थी और इसलिए घटना की तारीख से दो दिन पहले हंसराज सिंह और बोगा के बीच झगड़ा हुआ। 7 फरवरी, 2001 को शाम लगभग 7 बजे, शिकायतकर्ता मुकुंद सिंह के घर के सामने गली के किनारे से मारो मारो की आवाज़ आने पर, यादविंदर सिंह, मुकुंद सिंह और गुरजंत सिंह उस स्थान की ओर दौड़े जहां से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उन्होंने देखा कि आरोपी बोगा सिंह और उसके दो बेटे लिट्टा सिंह और कल्ला सिंह (यहाँ अपीलकर्ता) हंसराज सिंह को लाठियों से और गंडासी से पीट रहे थे । कल्ला सिंह के पास गंडासी थी जिसने हंसराज सिंह और अन्य लोगों के सिर पर गंडासी से चोट पहुंचाई। शिकायतकर्ता, मुकुंद सिंह, यादविंदर सिंह और गुरजंत सिंह चिल्लाने लगे जिस पर आरोपी भाग गए। शिकायतकर्ता पीड़ित को अस्पताल ले गया और उसे भरती करवाया। उसने रिपोर्ट एक्स. पी/1 पुलिस स्टेशन सादुलशहर में शाम को 10.00 बजे दर्ज करवाई जिसके आधार पर एफ. आई. और . सं. 29 /2001 (एक्स. पी./17) आई. पी. सी. की धारा 307,341,323/34 के तहत दर्ज की गई। 8 फरवरी, 2001 को

इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई। जिस पर आई. पी. सी. की धारा 307 जोड़ी गई थी। अनुसंधान के दौरान 8 फरवरी, 2001 को मौके का निरीक्षण किया गया और रक्त मिट्टी और मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध के हथियार भी बरामद किये गये। जब्त की गई वस्तुओं को रिपोर्ट के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया। गवाहों के बयान दर्ज करने और एफ. एस. एल. (रिपोर्ट एक्स. पी./24) की राय प्राप्त करने और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (एक्स. पी./14) प्राप्त करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत चालान दायर किया गया। अभियुक्तगण ने आरापों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। अपने मामले के समर्थन में अभियोजन ने 9 गवाह परीक्षित करवाये जिनमें से पी.डब्ल्यू.-1 बलजीत सिंह, पी.डब्ल्यू.-2 यादविन्दर सिंह और पी.डब्ल्यू.-3 मुकुंद सिंह को चश्मदीद गवाह बताया गया है, पीडब्लू-6 डॉ. बी. बी. गुप्ता और पीडब्लू-7 डॉ. मनीष आहूजा मृतक के उपचार और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के गवाह हैं। पीडब्लू-8 जांच अधिकारी के रूप में चंद्र प्रकाश पारिक और अन्य गवाह जैसे पीडब्लू-4 सेवा सिंह, पीडब्लू-5 लाखाराम और पीडब्लू-9 हरनारायण वस्तुओं की बरामदगी/जब्ती को साबित करने और उन्हें एफएसएल को भेजने के लिए गवाह हैं। प्रत्येक अभियुक्त ने अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। आरोपी

बोगा सिंह ने आगे कहा कि मृतक हंसराज सिंह के गुरजंत सिंह की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और उसके द्वारा आपत्ति जताई गई उसे हत्या के मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि, किसी भी आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई सबूत नहीं दिया।

4. पोस्टमॉर्टम करने पर मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. कटा हुआ घाव बाएं अग्र-भुजा पर 4 से. मी. x 1/5 से. मी. x हड्डी तक गहरा घाव था। निचले हिस्से की हड्डियाँ टूट गई थीं।

2. कटा हुआ घाव 20 से. मी. x 1/4 से. मी. x गहरी त्वचा का घाव दाहिनी भुजा पर था।

3. दाहिने कंधे पर 5 सेमी x 1/8 सेमी घर्षण।

4. दाहिने कंधे पर 5 सेमी x 1/8 सेमी घर्षण।

5. कमर पर 7 सेमी x 1⁄2 सेमी घर्षण मौजूद था।

6. कमर पर 7 सेमी x 1⁄2 सेमी घर्षण मौजूद था।

7. सूजन के साथ साइनोसेड निशान। बाएं कनपटी पर चोट के भीतर 8 सेमी घर्षण था जो मध्य भाग में 1 सेमी x 1 सेमी था।

8. दाहिनी कनपटी पर 7 से. मी. x 7 से. मी. साइनोसेड और फूली हुई उसी चोट के अंदर 1 सेमी x 1 सेमी घर्षण मौजूद था।

9. साइनोसेड और फूला हुआ 6 सेमी x 8 सेमी रक्त का थक्का सिर के पीछे की ओर काटने पर त्वचा के नीचे मौजूद था जो चोट संख्या 7 से चोट संख्या 9 के निचले हिस्से तक फैला हुआ था हड्डी काटने पर खून जम गया था जो डुरामैटर मस्तिष्क में था जो बाईं पार्श्विका क्षेत्र, आक्सीपिटल क्षेत्र और दायां टेम्पो पैराईटल क्षेत्र में था।

10. दाहिने घुटने पर 10 से. मी. x 1 से. मी. साइनोसेड।

5. डॉक्टर (पीडब्लू-6) के अनुसार सभी चोटें मृत्यु से पहले की थी और मृतक की मौत सिर की चोट संख्या 7, 8 और 9 से उत्पन्न सदमे और कोमा के कारण हुई थी। चोट संख्या 7 और 8 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण था।

6.विचारण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-6 के कथनों के आधार पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी.-14 के आधार पर किये गये अभिनिर्धारित किया कि मृतक हंसराज सिंह की हत्या की गई थी। इस संबंध में चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) की गवाही की विश्वसनीयता के सम्बंध में विचारण न्यायालय ने यह पाया (पैरा 18 में) कि यह सच हो सकता है कि वह स्थान जहाँ ये तीनों गवाह खड़े थे अभियुक्त को वहाँ से सीधे देखना बिल्कुल भी संभव नहीं है लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने मारो मारो की पुकार सुनी और फिर वे वहाँ पहुँचे; पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के

बयानों में अभियुक्त को देखने के संबंध में अतिश्योक्ति हो सकती है क्योंकि वे दोनों मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उन्होंने सीधे आरोपी को देखने का बयान दिया है कि वे इस बिंदु पर निर्णायक सबूत देना चाहते थे कि उन्होंने आरोपी को शुरू से ही हमला करते हुए देखा था लेकिन उनके बयान का आधार कि उन्होंने अभियुक्त को देखा है उस स्थान से जहाँ वे खड़े थे, इस आधार पर इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि उन्होंने मारो मारो की पुकार नहीं सुनी; और चूंकि मारो मारो की पुकार थी, इसलिए ये सभी तीनों गवाह वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि आरोपी मृतक हंसराज सिंह पर हमला कर रहे थे, विश्वास योग्य नहीं है। बयानों में विसंगतियों और कमियों के संबंध में विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया (पैरा 19 में) कि अभियाेजन के सम्पूर्ण मामले को इस आधार पर झूठा नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें ऐसी विसंगतियाँ जो सामान्य प्रकृति की हैं, अस्तित्व में नहीं है और न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य घटना के मुख्य कथनों के सम्बन्ध में कितनी विश्वसनीय है। इस तर्क पर कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 मृतक के करीबी रिश्तेदार होने के कारण उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए इसे स्वीकार नहीं किया कि घटना स्थल पर उनका आगमन स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने उस स्थान पर मारो मारो की पुकार सुनकर पहुंचने का बयान दिया था और घटना

स्थल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। इस तर्क पर कि गुरजंत सिंह के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया, विचारण न्यायालय ने कहा कि यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि वह कौनसे गवाह को परीक्षित करवाना चाहता है। जब वही तथ्य विश्वसनीय गवाह के माध्यम से साबित हो जाता है तो उसी बिंदु पर सम्पुष्टि के लिए एक से अधिक गवाहों को परीक्षित करवाया जाना आवश्यक नहीं है।

7. अंततः विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी लिट्टा सिंह और कल्ला सिंह ने मृतक पर गंडासी और लाठी से हमला कर उसे उसकी मृत्यु कारित करने के हेतु के साथ प्राण घातक चोटें कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभियुक्त बोगा सिंह का अपराध में किसी भी भागीदारी का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हुआ है और इसलिए, संदेह का लाभ देते हुए आरोपी बोगा सिंह को बरी कर दिया गया। यहाँ अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा जैसा कि ऊपर बताया गया है, दी गई।

8. विचारण न्यायालय के फैसले से व्यथित, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने और गवाहों की साक्ष्य को पुनः मूल्यांकन

करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षों की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

9. अपीलार्थियों के अधिवक्ता सुशील कुमार जैन ने कथन किया कि दोषसिद्वि का निर्णय और आदेश तथ्यों व अभिलेख पर और इ साक्ष्य के विरोधाभाषी है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रथमतः यह कथन किया कि विचारण न्यायालय ने गवाह पीडब्लू-1 बलतेज सिंह, पीडब्लू-2 यादविंदर सिंह, पीडब्लू-3 मुकुंद सिंह के बयानों पर भरोसा करने की गलती की है क्योंकि वे हितबद्ध गवाह थे। पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 मृतक का भाई और बेटा है और मुकुंद सिंह अपीलार्थियों के प्रति शत्रुतापूर्ण था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि क्योंकि इन गवाहों के बयानों पर बोगा सिंह के सम्बन्ध में विश्वास नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने बिना किसी स्वतन्त्र गवाहों के द्वारा पुष्टि के इन गवाहों के कथनों पर विश्वास करने में गम्भीर गलती की है। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान विचारण न्यायालय के निर्णय की और आकर्षित किया कि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 22 में अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार करना चाहिए था। विचारण न्यायालय के फैसले का पैरा 22 इस प्रकार हैः

" जहाँ तक आरोपी बोगा सिंह का सवाल है हालाँकि पीडब्लू. 1, पीडब्लू. 2 और पीडब्लू. 3 के बयान उसके विरूद्ध हैं कि उसने भी मृतक को

लाठी से पीटा था, लेकिन इस संबंध में हमारी राय है कि पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 ने आरोपी बोगा सिंह के संबंध में बयान दिए हैं कि आरोपी बोगा सिंह ने मारो मारो का आह्वान किया लेकिन इन तीनों ने धारा 161 Cr.P.C के तहत बयान में ऐसा कोई बयान नहीं किया है कि मारो मारो की आवाज अभियुक्त बोगा सिंह ने की। गवाह पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 द्वारा अभियुक्त बोगा द्वारा मारो मारो कहने के कथनों से अभियुक्त बोगा सिंह का भी इस मामले में पूरी तरह से शामिल होना प्रकट होता है। पी. डब्ल्यू. 3 मुकंद सिंह अपने बयान में ऐसा बयान नहीं देता है। बोगा सिंह ने मारो मारो का आह्वान किया और यह उसके लिए स्वाभाविक था कि उसने केवल आवाज सुनी थी और आरोपी को नहीं देखा क्योंकि उस समय वह अपने घर के सामने कुत्तों को रोटी खिला रहा था। पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 ने अदालत में यह अधिक बयान दिया है जिसके कारण सन्देह पैदा होता है कि क्या वास्तव में मारो मारो का आह्वान बोगा सिंह द्वारा किया गया था, इसलिए कि वह स्थान जहाँ ये लोग खड़े थे और घटना के समय यह संभव नहीं था कि आवाज उसने की है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त बोगा सिंह की इत्तला पर बरामद लाठी पर खून नहीं था, इसलिए यह भी संदेह पैदा करता है कि जिस लाठी को जब्त किया गया था, उसका उपयोग मृतक को चोट पहुँचाने के लिए किया गया था। यहां एक और व्यावहारिक तथ्य यह है कि जब उसके दो छोटे बेटे जिसमें आरोपी काला सिंह की उम्र 20 वर्ष है और

आरोपी लीटा सिंह की उम्र 25 वर्ष है, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है। धारा 313 Cr.P.C के तहत उनके बयान में, और दोनों के पास मृतक को चोट पहुँचाने की पर्याप्त क्षमता है, तो इस आरोपी को यह आवश्यकता थी कि वह भी मृतक की चोटें कारित करता। उसकी उपस्थिति घटना स्थल पर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से पीडब्लू. 1, पीडब्लू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 मारो मारो की आवाज सुनकर आये तब वह भी वहां आ सकता है लेकिन उसने मारो मारो नहीं कहा, ना ही अपने बेटों को किसी तरह से उकसाया और ना ही उसने मृतक को चोट कारित करने में भाग लिया। इसलिए पीडब्लू. 1, पीडब्लू. 2 और पीडब्लू. 3 के बयान उसके सम्बन्ध में विश्वसनीय नहीं है और उसे संदेह का लाभ देना न्यायोचित है।"

10. विद्वान वकील ने कथन किया कि एफ़. आई. और. में तीनों अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप थे और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अलग नहीं किया जा सकता है। चूंकि एक आरोपी बोगा सिंह को बरी कर दिया गया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी को आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि घटना की उत्पत्ति स्थापित नहीं हुई है कि कौनसी चोटें घातक थीं। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के *ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 355 और यू. पी. राज्य बनाम मदन मोहन और अन्य। , एयर 1989 एससी 1519 के मामले का उल्लेख किया।* विद्वान वकील ने कथन किया कि

गुरजंत सिंह और इलाके के अन्य लोगों को परीक्षित नहीं करवाना हस्तगत प्रकरण के लिए घातक है क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं किए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अंत में, विद्वान सलाहकार ने एक वैकल्पिक तर्क और प्रस्तुत किया कि पीड़ित को मारने के लिए अपीलकर्ताओं का कोई सामान्य इरादा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि अपीलार्थियों और पीड़ित के बीच किसी विवाद और झगड़े के कारण अपीलकर्ताओं ने पीड़ित को सबक सिखाने की कोशिश की होगी और इसमें उन्होंने कथित रूप से चोटें पहुंचाई हैं जिसकी वजह से पीड़ित की मौत हुई है और इस सीमा में कहा गया है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धी को धारा 302 आई. पी. सी. से धारा 304 भाग II और ्इ.पी.सी. या धारा 304 भाग-1 के तहत परिवर्तित किया जा सकता है।

11. दूसरी ओर, डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान वकील अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होते हुए कहा गया कि चश्मदीद गवाहों, अर्थात् पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। विद्वान वकील ने कथन किया कि अपीलार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार को बरामद कर लिया गया और उक्त हथियार पर खून पाया गया। विद्वान वकील ने कथन किया कि सिर की चोटें जैसे चोट संख्या। 7, 8 और 9 स्वतंत्र रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। विद्वान वकील ने कहा कि हो सकता है कि गुरजंत सिंह को सबसे अच्छा गवाह नहीं कहा जा सकता लेकिन वह गवाहों

में से एक है। चूँकि पीडब्लू 1, 2 और 3 की साक्ष्य मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी, गुरजंत सिंह को परीक्षित नहीं करवाना अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी तरह से घातक नहीं है।

12. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की है और शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत जिसके आधार पर अपीलार्थी बोगा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसे बरी कर दिया गया है। मुकुंद सिंह के घर सामने वाली गली की और से आने वाले शब्द "मारो मारो" पर काफी जोर दिया गया है। कथित तौर पर आरोपी व्यक्ति की आवाज सुनकर उस जगह की ओर भागा और देखा कि आरोपी बोगा सिंह और उसके दो बेटे लिट्टा सिंह और कल्ला सिंह मृतक को लाठी और गंडासी से पीट रहे थे। एफ. आई. और. (उसी का अंग्रेजी अनुवाद अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न किया गया है) में, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले ने आरोप लगाया कि जब वह दो अन्य लोगों के साथ मुकुंद के घर के सामने भागा, तो जोर से आवाज़ "मारो मारो" सुनाई दी । हंगामा सुनकर शिकायतकर्ता और पीडब्लू 2 और 3 दौड़े और देखा कि आरोपी व्यक्ति मृतक पर हमला कर रहे थे। जब शिकायतकर्ता और पीडब्लू 2 और 3 ने शौर मचाया तो आरोपी भाग गए। पीडब्लू-1, जो कि शिकायतकर्ता है, ने अपने साक्ष्य में अन्यथा बयान दिया है। उसकी साक्ष्य के अनुसार हल्ला मच गया, बोगा सिंह कह रहा था "मारो

मारो।" शोर-शराबा सुनकर वह दौडकर वहाँ गया तो देखा कि आरोपी मृतक को पीट रहे थे। पी.डब्ल्यू.- 2 यादविंदर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि "मारो मारो" की आवाज़ सुनकर उन्होंने देखा कि बोगा सिंह " मारो मारो" कह रहे थे। फिर वे वहाँ गए और देखा कि तीन आरोपी उनके पिता को पीट रहे थे। जब वे पास पहुँचे तो ये लोग भाग गए। पीडब्लू-3 मुकुंद सिंह ने बताया कि यह घटना लगभग छह महीने पहले की थी। जब वह कुत्तों को रोटी खिला रहा था, तभी "मारो मारो" की आवाज़ आई।वह वहाँ दौड़कर पहुँचा और देखा कि आरोपी हंसराज सिंह को पीट रहे थे।

13. विचारण न्यायालय ने पुलिस थाना में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (एक्स. पी/1) के आधार पर आगे बढ़ी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब मृतक लगभग 7 बजे खेत से घर आ रहा था और जब वह मुकुंद सिंह के घर के सामने की गली में पहुँचा, एक जोरदार आवाज़ और ्इ "मारो मारो।" फैसले में "मारो मारो" शब्द को "मार दो मार दो" के रूप में वर्णित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू 1, 2 और 3 की साक्ष्यों पर भी ध्यान दिया जिन्होंने आरोप लगाया था कि "मारो मारो" का शोर सुना था। विचारण न्यायालय ने अपनी राय दर्ज की जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः

इस संबंध में मेरी राय है कि यह उस स्थान पर सही हो सकता है जहां ये तीनों गवाह खड़े थे, वहां से अभियुक्तों को देखना बिल्कुल भी सम्भव नहीं है क्योंकि घटना लगभग 7 फरवरी 2001 की शाम लगभग पौने

सात-सात बजे की है और इस दिन सूरज लगभग साढ़े छः बजे अस्त हो जाता है और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद अंधेरा इतना होता है कि उसमें देखना संभव नहीं होता है। लेकिन उनका बयान है कि उन्होंने मारो मारो की आवाज सुनी और तभी वे वहां पहुंचे। अारोपियों को देखने के सम्बन्ध में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों में अतिशयोक्ति हो सकती है क्योंकि वे दोनों हैं मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उन्होंने अभियुक्त को सीधे देखने का बयान दिया है कि वे इस बिंदु पर निर्णायक सबूत देना चाहते थे। उन्होंने शुरू से ही आरोपियों को मारपीट करते हुए देखा था, लेकिन उनके बयान के आधार पर कि उन्होंने अभियुक्त को उस जगह से देखा है जहाँ वे खड़े थे, इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने मारो मारो की आवाज नहीं सुनी। पीडब्लू. 1, पीडब्लू. 2 और पीडब्लू. 3 का बयान कि वे मारो मारो को सुनकर वहाँ गये थे और उनमें से पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 का कथन निश्चित है कि बोगा सिंह मारो मारो **आहवान** कर रहे थे लेकिन इसमें उनकी साक्ष्य संदेहपूर्ण हो सकती है कि वास्तव में बोगा सिंह ने मारो मारो का **आह`वान** किया था, लेकिन चूंकि वहाँ मारो मारो का **आह`वान** किया था इसलिए ये तीनों गवाह वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि आरोपी मृतक हंसराज सिंह पर हमला कर रहे थे।हालाँकि इन सभी गवाहों का स्थान घटना के स्थान से बहुत दूर नहीं है, इसलिए उनका मारो मारो की आवाज़ की आवाज सुनकर घटना स्थल पर जाना और वहाँ जाकर

आरोपियों को हंसराज सिंह पर हमला करते देखने के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालाँकि अभियुक्तों के वकील ने अपनी दलील में तर्क दिया कि जाँच अधिकारी ने वह जगह नहीं दिखाई जहाँ से वे आरोपी को खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जाँच अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह घटना की जगह दिखाएगा और आस पास का वह स्थान नहीं जहाँ से किसी गवाह ने घटना देखी होगी। अगर तीनों गवाहों ने मारो मारो की आवाज़ सुनकर घटना स्थल पर नहीं जाने का बयान दिया होता और घटना स्थल पर ही खडे होकर देखने का बयान दिया होता तो इस तर्क का महत्व था कि उन्होंने घटना कैसे देखी जबकि वे उस स्थान पर खड़े थे जहां पर वे खड़े थे। जब वे आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुँचे तब उनके खडे होने की स्थिति और स्थान गौण हो जाता है। इसलिए, अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क उसके पास कोई बल नहीं है।"

14. हालांकि, आरोपी बोगा सिंह के संबंध में, विचारण न्यायालय ने उसे बरी करते हुए फैसले के पैरा 22 में तर्क दर्ज किया।

15. दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने एक्स. पी/1 में वर्णित घटना का वर्णन करते हुए गलत उल्लेख किया है कि गवाहों ने "मारो मारो

?" की आवाज़ सुनी है और चिल्लाहट सुनकर, गवाह मौके पर पहुंचे और आरोपी व्यक्तियों को मृतक को पीटते हुए देखा।

16. "मारो मारो" शब्द का अर्थ कभी भी "मार डालो" नहीं हो सकता है। मार डालो " शब्द का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना, इसका मतलब किसी को मौत के घाट उतारना, हत्या करना, वध करना भी है। दूसरी ओर, "मारो मारो" शब्द का अर्थ है पीटना, हमला करना। यहाँ दोनों शब्दों के बीच भेद की पतली रेखा है। यदि आवाज "मार डालो" "मार डालो" है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना और उसे समाप्त करना। व्यक्ति का इरादा इस तरह कथन या आवाज "मार डालो" "मार डालो" करना था और इस तरह के कथन के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया, तब मृतक को मारने का औरहत्या करने का स्पष्ट इरादा होता। यहां पर कथन मारो मारो सुनकर अभियुक्त व्यक्ति बोगा सिंह को पीटना शुरू कर दिया।

17. मृतक को लगी चोट की प्रकृति और उनके द्रा इत्सेमाल किये गये हथियार यानि लाठी और गंडासी (दरांती) को ध्यान में रखते हुए इस बात इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मृतक पर इस ज्ञान के साथ हमला किया कि चोट से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की ओर से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी

व्यक्तियों ने हत्या करने की पूर्व योजना बनाई और इस इरादे से वे मृतक के खेत से आने और फिर उसे मारने के इरादे से इंतजार कर रहे थे मृतक को मारने के इरादे से उन्होंने उस पर हमला किया।

18. यह विधि का सुस्थापित सिद्रान्त है कि इस ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करने का आशय कि मृत्यु कारित होना सम्भावित है, यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मृत्यु वास्तव में हत्या है मृत्यु कारित करने के आशय से की गई है या यह ज्ञान कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है। गवाहों की गवाही से यह पता नहीं चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का इरादा मृत्यु कारित करने का था और उस इरादे के साथ उन्होंने मृतक के शरीर पर चोटें मारना शुरू कर दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वे मृतक को पीट रहे थे गवाह मौके पर पहुंचे और चिल्लाये जिस पर आरोपी व्यक्ति मृतक को मारने के इरादे से और अधिक चोट पहुंचाने के बजाय तुरंत भाग गए।

19. गुरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1987) 2 एस. सी. सी. 14, के मामले में इस अदालत को इसी तरह की एक घटना का सामना करना पड़ा, जहाँ अभियोजन पक्ष का मामला था कि एक माया बाई के दो बेटे और दो भाई थे, वह आरोपी संख्या 1 और 2 की माता और आरोपी संख्या 3 और 4 की बहन थी। मृतक किशोर सिंह था। आरोपी को शक हुआ माया बाई के मृतक के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए एक दिन जब

मृतक गाँव से लौट रहा था और जब वह कश्मीरी लाल के खेत में पहुँचा तो आरोपी गेहूँ के खेत से से बाहर आया। पहले अपीलार्थी के पास एक कृपाण था और दूसरे अपीलार्थी के पास कप्पा था। यह आरोप लगाया गया था कि चारों अभियुक्तों ने मृतक को गेहूं के खेत में ले जाकर जमीन पर फेंक दिया। बरी किए गए अभियुक्तों में से एक जीत सिंह के हाथ पकड़ लिए और दो अपीलार्थियों ने अपने हाथों में हथियारों से चोटें पहुंचाईं। लक्ष्मण सिंह, पीडब्लू-3, के द्वारा बनाया गया एक अलार्म था जिसने पीडब्लू-4 और मोहिंदर सिंह को आकर्षित किया था। जब वे मौके पर पहुंचे तो आरोपी हथियार लेकर भाग गए। मृतक के शरीर पर सात चोटें थीं। चोट संख्या 7 डॉक्टर के अनुसार घातक थी। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष सही मामले के साथ सामने नहीं आया कि घटना कैसे हुई। ट्रायल जज ने दो अभियुक्तों जीत सिंह और तेजा सिंह को दोषी नहीं पाया। क्योंकि उनके खिलाफ मामला उचित सन्देह से परे साबित नहीं हुआ था। अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया क्योंकि बरी किए गए अभियुक्तों के विपरीत उनके पास हथियार थे। इस अदालत ने पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया कि अपीलार्थी मृतक पर अपने हाथों में हथियारों से हमला करके उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात, न्यायालय को विचारण न्यायालय से सहमत होना मुश्किल लगा कि अपीलार्थी धारा 302 आई. पी. सी. के तहत

अपराध के दोषी थे। इसलिए, धारा 304 भाग I के तहत अपराध को परिवर्तित करते हुए न्यायालय ने यह पाया कि

" 6. विचारण न्यायाधीश का यह कहना पूरी तरह से उचित नहीं था कि मृतक माया बाई और किशोर सिंह के बीच तथाकथित अवैध संबंध के बारे में कोई सबूत नहीं था। उपलब्ध सामग्री से हमारे मन में काफी संदेह है कि क्या अपीलकर्ताओं का वास्तव में किशोर सिंह को मारने का इरादा था या क्या उसके दुराचार ने उन्हें इसके खिलाफ बदला लेने के लिए प्रेरित किया और इस आशय से उस पर हमला किया। इम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि 7 वीं चोट समाान्य तौर पर मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं कि अपीलकर्ता का इरादा मृतक को मारने का था। हमारे अनुसार, इस मामल में सबूतों और अन्य परिस्थितियों पर सही दृष्टिकोण यह होगा कि आरोपी को धारा 304 भाग I के तहत दोषी पाया जाए और उन्हें उस धारा के तहत सजा दी जाये।"

20. सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना अचानक हुयी और अपीलार्थियों की और से कोई पूर्व विमर्श नहीं किया गया। इसकी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने मृतक को मारने के आशय से उस पर हमला करने के लिए विशेष तैयारी की। यह अविवादित है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर इस तरह से हमला

किया कि मृतक को गंभीर चोटें आईं जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह न्यायालय आश्वस्त है कि अपीलार्थियों द्वारा चोटें मृतक को मारने के आशय से नहीं की गयी।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारी सुविचारित राय में हस्तगत मामला धारा 304 (भाग II) में आता है, यद्यपि अपीलार्थी का मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे जानते थे कि इस तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु कारित होने की संभावना थी। इसलिए अपीलार्थी सदोष मानव वध के दोषी हैं जो हत्या करने की कोटी में नहीं आता और धारा 304(भाग II) के तहत दंडित किये जाने योग्य है।

22. तदनुसार हम विचारण न्यायालय के निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय को संशोधित करते हैं और धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को 304(भाग II) में परिवर्तित करते हैं और अपीलार्थियों को दस साल के कारावास की सजा देते हैं। इसलिए, ऊपर बताये अनुसार दोषसिद्धि और सजा में संशोधन के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील का

निपटारा किया गया।

यह अनुवाद और आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी शर्मा (और जेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।